

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी मोहनलाल खटनावलिया
राजस्व प्रार्थना पत्र 35/2018

1. श्री बाबूलाल पुत्र श्री लादू
2. श्री चान्दमल पुत्र श्री लादू
3. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री लादू
4. श्री जगदीश पुत्र श्री गौपी
5. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री गौपी

सभी जाति रैगर निवासी ग्राम केसरपुरा, तहसील विजयनगर जिला अजमेर ।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुवालाल पुत्र श्री छीतर ।
2. श्री भागू पुत्र श्री गोकल दोनो जाति रैगर निवासी ग्राम केसरपुरा, तहसील विजयनगर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार विजयनगर जिला अजमेर ।

.....अप्रार्थीगण

राजस्व पार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का खूटियां तहसील विजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 00-08-00 बिस्वा उनकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे ।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का खूटियां की जमाबंदी संवत 2073-76 के खाता संख्या 109 में खसरा नम्बर 263 रकबा 00-08-00 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि -

आदेश

तहसीलदार विजयनगर को ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का खूटियां स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 00-08-00 बिस्वा में मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।



(मोहनलाल खटनावलिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज.

